संख्या:26/2023/953 ई-2/तेरह-2023-501650

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2023

विषय:-मेसर्स कामधेनु कैटिल फीड्स प्रा.लि., फतेहपुर रोशनाई, रनिया, कानपुर देहात की वास्तविक शीरा उपभोग क्षमता के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-12/दस-140सी(332)/वा.शी.उ./2019-20, दिनांक 01-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 01-06-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स कामधेनु कैटिल फीड्स प्रा.लि., फतेहपुर रोशनाई रनिया, कानपुर देहात की 3,73,240 कुं. शीरा उपभोग क्षमता में 2,43,662 कुं. की वृद्धि करते हुए इकाई की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता कुल 6,16,902 कुं. निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(क) किसी भी दशा में चीनी मिल एवं खाण्डसारी शीरा को मिश्रित रूप से भण्डारित नहीं किया जायेगा।

(ख) शीरा संचय टैंकों का गेज चार्ट नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in